न्यायालय :– सेशन न्यायाधीश, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः– तनवीर चौधरी,
आर.जे.एस. (डी.जे.केडर)

नंबरी फौजदारी प्रकरण संख्याः– 41/2015
सी.आई.एस. नंबरः– 56/2017
सी.एन.आर. नंबरः– RJHG010013732017

राजस्थान राज्य बनाम प्रमोद कुमार आदि
––अभियुक्तगण

प्रार्थना पत्र दिनांकित
01.12.2025

उपस्थितिः–

श्री मनोज कुमार शर्मा, लोक अभियोजक– राज्य की ओर से।
श्री अरविन्द बिश्नोई, अधिवक्ता– परिवादी पक्ष की ओर से।
श्री साबिर अली, अधिवक्ता– अभियुक्त कृष्ण की ओर से।
श्री पूर्ण सिंह जटाणा, अधिवक्ता– अभियुक्त प्रमोद की ओर से।
श्री हेम सिंह खीची, अधिवक्ता– अभियुक्त विनोद की ओर से।

–आदेश– **दिनांकः 15.12.2025**

1. इस आदेश द्वारा परिवादी विष्णु के द्वारा जरिए अधिवक्ता परिवादी एवं लोक अभियोजक प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.12.2025 का निस्तारण किया जा रहा है।

2. आवेदन पर परिवादी/अभियोजन पक्ष का कथन रहा है कि प्रकरण में दौराने अनुसंधान अनुसंधान अधिकारी द्वारा मुलजिमान से एक तलवार, दो लाठी व कारतूसों के खाली खोखे बरामद कर सील किए गए थे। साथ ही मृतकगण मांगीलाल व कमला के खून आलूदा पारचात भी जप्त कर सील किए गए थे। इन वजह सबूतों को मालखाना में भी सील्ड हालत में जमा करवाया गया था। मामला दोहरी हत्या का है, जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। अनुसंधान अधिकारी द्वारा उक्त वजह सबूतों को उन पर रक्त है अथवा नहीं और यदि है तो उसका रक्त समूह क्या है, की जांच हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नहीं भेजा गया और ना ही डीएनए की जांच करवाई गई, जबकि अनुसंधान के दौरान ऐसा करवाया जाना आवश्यक था। एक दोहरे हत्या के मामले में अनुसंधान अधिकारी द्वारा की गई त्रुटि से अन्याय हो और न्यायालय देखता रहे, ऐसा नहीं हो सकता है। मामले के सही निर्णय के लिए उक्त वजह सबूतों को अब भी विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा जा सकता है इसलिए थानाधिकारी, पुलिस थाना, टिब्बी को आदेशित किया जाए कि वह उक्त वजह सबूतों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला में नियमानुसार भेजकर उन पर मानव रक्त होने/रक्त समूह/डीएनए संबंधी जांच करवाकर रिपोर्ट न्यायालय के समक्ष पेश करवाई जाए।

3. आवेदन के जवाब में अभियुक्तगण की तरफ से कथन किया गया कि आवेदन प्रस्तुत करने के लिए परिवादी सक्षम नहीं है, उसे पैरवी करने की अधिकारिता नहीं है। आवेदन किस प्रावधान में पेश किया गया है, यह अंकित नहीं है। घटना 11 वर्ष पूर्व की है। घटना से 6 माह बाद मुलजिम सुरेश

भादू से बरामदगी होना कहा गया है, जिस सुरेश भादू की मृत्यु हो चुकी है। बरामदगी सन्देह से परे साबित नहीं है। फर्द बरामदगी में बरामदगीकर्ता द्वारा उक्त तलवार व लाठियों पर कोई खून के निशान नजर नहीं आना अंकित गया है। खाली खोखों के संबंध में कोई हथियार बरामद नहीं किया गया है। मामले में कुल 8 आरोप पत्र प्रस्तुत हुए हैं। करीब सवा चार साल तब अनुसंधान लंबित रहा है, इसके बावजूद जप्त वजह सबूतों की जांच नहीं करवाई गई, अब इस स्तर पर नये सबूत पैदा करने के लिए व लेकूना की पूर्ति के लिए यह आवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए इसलिए आवेदन खारिज किया जाए।

4. मैंने उभय पक्ष की बहस सुनी और उनके तर्कों पर मनन किया। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता परिवादी एवं विद्वान लोक अभियोजक का मेरे समक्ष तर्क रहा है कि मामला केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है और सह–अभियुक्त से हुई बरामदगी आपराधिक षड़यंत्र का आरोप होने के कारण अन्य अभियुक्त के विरूद्ध साक्ष्य में पढ़े जाने योग्य है। आला ए कत्ल की अभियुक्तगण में से किसी से भी बरामदगी होने का तथ्य अन्य अभियुक्तगण को अपराध से जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है, इसके बावजूद अभियुक्त सुरेश भादू से बरामदशुदा लाठी व तलवार पर रक्त लगे होना और उक्त रक्त का मृतक के पारचात से मिलान करवाने का अनुसंधान अधिकारी द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया। उन्होंने मेरे समक्ष न्याय निर्णय The High Court of Delhi CRL.M.C. 1704/2017, CRL.M.A. 6908/2017 Nand Kishor Vs State & Ors. Judgment dated 01.04.2025 प्रस्तुत कर तर्क दिया कि माननीय देहली उच्च न्यायालय द्वारा समान मामले में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय द्वारा वजह सबूत और पारचात की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच व मिलान करवाये जाने व डीएनए की जांच करवाये जाने का आदेश विचारण न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। न्याय निर्णय The High Court of Rajasthan S.B. CR.Misc. Petition No. 1975/2013 Bhagwati Prasad Vs State of Rajasthan & Anr. Judgment dated 10.02.2014 प्रस्तुत कर तर्क दिया गया कि अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् भी न्यायालय द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच के आदेश दिए जा सकते हैं। उनका तर्क रहा है कि फर्द जप्ती में खून दिखाई नहीं देने का तथ्य अंकित कर देना जांच नहीं करवाये जाने का कोई आधार नहीं है। वजह सबूत अभियुक्त से बरामद हुए अथवा नहीं, यह भी निर्णय के स्तर पर देखा जा सकता है। जांच करवाये जाने पर ही यह तथ्य स्पष्ट होगा कि मृतक के कपड़ों पर जो मृतक का खून लगा हुआ है, वही खून आला ए कत्ल पर है अथवा नहीं, जो कि अभियुक्त सुरेश भादू से बरामद हुआ है। उनका तर्क रहा है कि न्यायालय को प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को ध्यान में रखते हुए जांच के आदेश दिए जाने चाहिए।

5. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्तागण अभियुक्तगण का मेरे समक्ष तर्क रहा है कि माननीय देहली उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय CRL.M.C. 1704/2017, CRL.M.A. 6908/2017 Nand Kishor Vs State & Ors. Judgment dated 01.04.2025 के मामले में जो आदेश दिया गया है, वह धारा 482 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत अंतर्निहित शक्तियों के तहत दिया गया है। इस न्यायालय के पास ऐसी अंतर्निहित शक्तियां नहीं है। आवेदन में भी ऐसे किसी प्रावधान का अंकन नहीं किया गया है,

जिसमें ऐसा कोई आदेश दिया जा सकता हो। उनका तर्क रहा है कि जिस मुलजिम सुरेश भादू से वजह सबूत लाठी, तलवार बरामद होना कहा गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। बरामदगी घटना के 6 माह बाद की गई थी, जो बरामदगी भी साबित नहीं है। फर्द बरामदगी में कोई खून लगा हुआ नहीं पाया गया और ना ही किसी व्यक्ति का ऐसा कथन है कि उक्त हथियारों को कत्ल में इस्तेमाल किया गया है। डीएनए किससे मिलान किया जाएगा, जबकि सुरेश भादू की मृत्यु हो चुकी है। अभियोजन पक्ष द्वारा बयान मुलजिम के स्तर पर यह आवेदन केवल मात्र अभियोजन पक्ष के मामले के लेकूना को दूर करने के लिए व अनुसंधान में रही त्रुटि को दूर करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने मेरे समक्ष न्याय निर्णय The Supreme Court of India Criminal Appeal No. 1171 of 2016 (Arising out of S.L.P. (Criminal) No. 3338 of 2015 Amrutbhai Shambhubhai Patel Vs Sumanbhai Kantibhai Patel & Ors. Judgment dated 02.12.2017 प्रस्तुत कर तर्क दिया कि पुलिस को चालान प्रस्तुत करने के पश्चात् अग्रिम अनुसंधान का निर्देश इस न्यायालय द्वारा नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने न्याय निर्णय C.K. Baljee Vs State of Rajasthan & Anr. 2017 (1) Cr.L.R. (Raj.) 497 प्रस्तुत कर तर्क दिया कि विशिष्ट प्रावधानों के अभाव में न्यायालय कोई आदेश पारित नहीं कर सकता है। अतः आवेदन खारिज किया जाना चाहिए।

6. उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय निर्णयों का सादर अध्ययन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। विद्वान अधिवक्ता परिवादी/विद्वान लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत न्याय निर्णय The High Court of Delhi CRL.M.C. 1704/2017, CRL.M.A. 6908/2017 Nand Kishor Vs State & Ors. Judgment dated 01.04.2025 के मामले में माननीय देहली उच्च न्यायालय द्वारा हत्या एवं हत्या के प्रयास के प्रकरण में बहस अन्तिम के स्तर पर धारा 293 (4) (एफ) दण्ड प्रक्रिया संहिता व धारा 45 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रस्तुत आवेदन पर मृतक के कपड़ों व अभियुक्त के कपड़ों पर लगे खून की जांच व डीएनए जांच के आदेश यह परिस्थिति विवेचित करते हुए दिए गए हैं कि अभियुक्त के कपड़ों पर मृतक के खून के छींटे पाए जाने पर अभियुक्त की मौका पर मौजूदगी प्रमाणित होगी। यह भी सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया कि कपड़ों की बरामदगी साबित होने का तथ्य निर्णय के समय देखा जाएगा। न्याय निर्णय The High Court of Rajasthan S.B.CR.Misc. Petition No. 1975/2013 Bhagwati Prasad Vs State of Rajasthan & Anr. Judgment dated 10.02.2014 के मामले में चैकों से संबंधित मामले में पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा चैकों की हस्तलिपि की जांच की आवश्यकता बाबत केस डायरी में अंकन किया होने के आधार पर जांच करवाये जाने के आदेश को उचित माना। अभियुक्तगण की तरफ से प्रस्तुत न्याय निर्णय The Supreme Court of India Criminal Appeal No. 1171 of 2016 (Arising out of S.L.P. (Criminal) No. 3338 of 2015 Amrutbhai Shambhubhai Patel Vs Sumanbhai Kantibhai Patel & Ors. Judgment dated 02.12.2017 के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अनुसंधानकर्ता एजेंसी को अभियोग पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् भी मामले में अग्रिम अनुसंधान करने का अधिकार है, लेकिन मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का प्रसंज्ञान लिये जाने के पश्चात्

और विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात् परिवादी के आवेदन पर या स्वतः मजिस्ट्रेट अग्रिम अनुसंधान के लिए निर्देशित नहीं कर सकता है। न्याय निर्णय C.K. Baljee Vs State of Rajasthan & Anr. 2017 (1) Cr.L.R. (Raj.) 497 के मामले में मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम का प्रकरण खारिज कर दिए जाने के बाद उसे वापिस रेस्टोर करने की शक्तियां नहीं होना प्रतिपादित किया गया है।

7. मैंने उभय पक्ष के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अध्ययन किया तथा प्रस्तुत न्याय निर्णयों का सादर अध्ययन किया। प्रश्नगत मामले में प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दिनांक 31.12.2014 को शाम 8.15 पी.एम. पर परिवादी विष्णु दत्त द्वारा इस आशय की दर्ज करवाई गई है कि उसके माता–पिता जो चक 1 केएसपी में ढाणी बनाकर रह रहे थे, के संबंध में उसे ताऊ के बेटे भाई अमर सिंह द्वारा इत्तिला दिए जाने पर कि उसने ढाणी में जाकर देखा तो पाया कि उसके माता–पिता आंगन में मरे पड़े हैं, जिनके सिर, हाथ पैर पर चोटों के निशान है। अज्ञात व्यक्तियों द्वारा दिन में किसी समय ढाणी में प्रवेश कर उसके माता–पिता के साथ मारपीट कर हत्या कर दी। जिस पर एफआईआर सं0 440/2014 पुलिस थाना, टिब्बी में दर्ज कर तफतीश की गई। बाद तफतीश समय–समय पर अभियुक्त प्रमोद कुमार आदि कुल 10 अभियुक्तगण के विरूद्ध पृथक–पृथक अभियोग पत्र प्रस्तुत किए गए, जिनमें से अभियुक्तगण कुलदीप सिंह उर्फ गब्बर, राजवीर उर्फ राजेन्द्र उर्फ राजू, मनप्रीत उर्फ मन्ना, जितेन्द्र मिढ़ा व विजय कुमार को दिनांक 09.12.2019 को उन्मोचित कर दिया गया। तत्पश्चात् 5 अभियुक्तगण में से अभियुक्त अमित कुमार व सुरेश भादू की दौराने अन्वीक्षा मृत्यु होने के कारण उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की गई है। वर्तमान में तीन अभियुक्तगण प्रमोद कुमार, कृष्ण उर्फ बागड़ी व विनोद कुमार के विरूद्ध विचारण चल रहा है। प्रकरण बयान मुलजिम के स्तर पर है। एक अभियुक्त के बयान मुलजिम लेखबद्ध किए जा चुके हैं, जबकि प्रश्नगत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

8. पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि अनुसंधान अधिकारी महावीर प्रसाद पी.ड. 34 द्वारा जिस अभियुक्त सुरेश भादू से प्रश्नगत दो लाठियां, एक तलवार बरामद होना कहते हुए जरिए फर्द वजह सबूत जप्त कर सील मोहर किया जाना कहा गया है, उक्त सुरेश भादू की मृत्यु हो चुकी है। दौराने अनुसंधान मृतकगण के पारचात भी पुलिस द्वारा जप्त किए गए हैं। अनुसंधान के दौरान उक्त मृतकगण के पारचात और अभियुक्त सुरेश भादू से बरामद होना कहे गये वजह सबूत लाठी व तलवार को विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्रेषित कर इस तथ्य की जांच करवाने का कोई प्रयास नहीं किया गया कि बरामदशुदा लाठी व तलवार पर कोई रक्त मौजूद है अथवा नहीं, यदि मौजूद है तो वह किस रक्त समूह का है और वह मृतकगण में से किसके रक्त समूह से मेल खाता है अथवा नहीं तथा उक्त रक्त समूह व मृतकगण के रक्त समूह के डीएनए से मेल खाता है अथवा नहीं?

9. जहां तक इस स्तर पर वजह सबूतों की विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच करवाने और मृतकगण के पारचात पर लगे खून से मिलान करवाने की प्रार्थना का प्रश्न है, मैं माननीय देहली उच्च न्यायालय द्वारा न्याय निर्णय CRL.M.C. 1704/2017, CRL.M.A. 6908/2017 Nand Kishor Vs State & Ors. Judgment dated 01.04.2025 के मामले में प्रतिपादित इस सिद्धान्त से सादर

सहमत हूँ कि वर्तमान परिस्थितियों में जबकि सांईटिफिक मैथेड का इस्तेमाल किया जाना सुगम हो चुका है, न्याय के लिए न्यायालय यदि आवश्यक समझता है तो विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच करवाने व डीएनए टेस्ट के लिए निर्देश दे सकता है, परन्तु जहां तक प्रश्नगत मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का प्रश्न है, मेरी विनम्र राय में तथ्यों एवं परिस्थितियां की भिन्नता के कारण प्रस्तुत न्याय निर्णय अभियोजन पक्ष की कोई मदद नहीं करता है। प्रश्नगत मामले में जहां सर्वप्रथम जिस अभियुक्त से वजह सबूत बरामद होना कहा गया है, उसकी मृत्यु हो चुकी है। घटना दिनांक 31.12.2014 को घटित हुई है। तत्समय भी अनुसंधान अधिकारी के अनुसार वजह सबूतों पर जाहिरा तौर पर खून के कोई निशान नहीं होना अंकित किया गया है। वजह सबूतों पर न्यायालय के समक्ष बयानों के दौरान सील्ड पैकेट खोलकर आर्टिकल डाला जा चुका है। प्रकरण बयान मुलजिम के स्तर पर है। मामले के गुणावगुण पर इस वक्त कोई टिप्पणी किया जाना न्यायोचित नहीं है, तथापि इस स्तर पर न्यायालय द्वारा पुलिस को मामले में अग्रिम अनुसंधान का निर्देश दिया जाना मेरी विनम्र राय में न्यायोचित नहीं होगा। अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए परिवादी/अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाता हूँ।

10. लिहाजा परिवादी/अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.12.2015 को एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

Sd/-

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश,
हनुमानगढ़

11. आदेश आज दिनांक 15.12.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Sd/-

(तनवीर चौधरी)
सेशन न्यायाधीश,
हनुमानगढ़